रजिस्ट्री सं° डी° एल°-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 361] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 6, 2004/चैत्र 17, 1926

No. 361] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 6, 2004/CHAITRA 17, 1926

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 5 अप्रैल, 2004

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (बाजार सहभागियों के केन्द्रीय डेटाबेस) विनियम, 2003 के विनियम 4 के उप-विनियम (1) के अधीन अधिसूचना

का.आ. 467(अ).—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (बाजार सहभागियों के केंद्रीय डाटाबेस) विनियम, 2003 (इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम के रूप में निर्दिष्ट) के विनियम 4 के उप-विनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त विनियम के अधीन विशिष्ट पहचान संख्याएँ अभिप्राप्त करने में अंतर्ग्रस्त कार्य के विस्तार और व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए एतद्द्वारा अधिसूचनाओं फा.सं.भाप्रविबो/विधि/03/22/75 तारीख 25 नवंबर 2003 और फा.सं.भाप्रविबो/विधि/03/23142 तारीख 9 दिसंबर 2003 का निम्नानुसार संशोधन करता है :

1. अधिसूचना फा.सं.भाप्रविबो/विधि/03/22/75 तारीख 25 नवंबर 2003 में, खंड (ग) में, शब्दों और अंकों "31 मार्च 2004" को निम्नलिखित शब्दों और अंकोंसे प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् "30 जून 2004";
2. फा.सं.भाप्रविबो/विधि/03/23142 तारीख 9 दिसंबर 2003 में, खंड (ख) में, शब्दों और अंकों "31 मार्च 2004" को निम्नलिखित शब्दों और अंकों से प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् "30 जून 2004" ।

[फा. सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/6472/2004]

ज्ञानेन्द्रनाथ बाजपेयी, अध्यक्ष

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 5th April, 2004

Notification under sub-regulation (1) of regulation 4 of the Securities and Exchange Board of India (Central Database of Market Participants) Regulations, 2003

S.O. 467(E).— In exercise of the powers conferred by sub-regulation (1) of regulation 4 of the Securities and Exchange Board of India (Central Database of Market Participants) Regulations, 2003 (hereinafter referred to as the said regulations) and having taken into consideration the extent of work and logistics involved in obtaining the unique identification numbers under the said Regulations, the Board hereby amends notifications F.No.SEBI/LE/03/22/75 dated 25th November, 2003 and F.No.SEBI/LE/03/23142 dated 9th December 2003 as follows :

1. In Notification F.No.SEBI/LE/03/22/75 dated 25th November, 2003, in clause (c), the words and figures "31st day of March, 2004" shall be substituted with the following words and figures, namely "30th day of June, 2004";

2. In Notification F.No.SEBI/LE/03/23142 dated 9th December 2003, in clause (b), the words and figures "31st day of March, 2004" shall be substituted with the following words and figures, namely "30th day of June, 2004".

[F. No. SEBI/LAD/DOP/6472/2004]

G. N. BAJPAI, Chairman

अधिसूचना

मुम्बई, 5 अप्रैल, 2004

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जोखिम पूँजी निधियाँ) (संशोधन) विनियम, 2004

का.आ. 468(अ).— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जोखिम पूँजी निधियाँ) विनियम, 1996 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

(1) (i) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जोखिम पूँजी निधियाँ) (संशोधन) विनियम, 2004 कहा जा सकेगा ।

(ii) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

(2) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जोखिम पूँजी निधियाँ) विनियम, 1996 में :-

(i) विनियम 2 में, -

(क) खंड (ङङ) में, शब्द "अनिवार्यतः" के पश्चात् , शब्द, "या वैकल्पिक रूप से", अंतःस्थापित किया जायेगा।

(ख) खंड (ड) में, उप-खंड (iii) में, शब्दों, "जोखिम पूँजी उपक्रम में" का लोप किया जायेगा।

(ii) विनियम 12 में, -

(क) खंड (घ) में, -

(i) शब्दों, "जोखिम पूँजी उपक्रम में", का लोप किया जायेगा।

(ii) उप-खंड (i) में, -

(1) अंक, "75%" के लिए अंक, "66.67%", प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(2) शब्दों, "जोखिम पूँजी उपक्रम के", को शब्दों "का विनिधानं" के पश्चात् जोड़ा जायेगा।

(iii) उप-खंड (ii) में,

(1) अंक, "25%" के लिए, अंक "33.33%", प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(2) खंड (क) में, शब्दों "एक वर्ष की रोध कालावधि के अध्यधीन" का लोप किया जायेगा।

(3) खंड (ख) के पश्चात् , निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्;-

"(ग) सूचीबद्ध कंपनी के इक्विटी शेयरों का अधिमानी आबंटन एक वर्ष की रोध कालावधि के अध्यधीन।

(घ) वित्तीय रूप से कमजोर कंपनी या रुग्ण औद्योगिक कंपनी जिनके शेयर सूचीबद्ध हैं के इक्विटी शेयर या इक्विटी संबद्ध लिखतें।

स्पष्टीकरण 1 :- इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, "वित्तीय रूप से कमजोर कंपनी" से कंपनी अभिप्रेत है, जिसने पूर्व वित्तीय वर्ष के अंत में हानियाँ संचित की हैं, जिसका परिणाम पूर्व वित्तीय वर्ष के आरंभ में इसकी शुद्ध मालियत के 50% से अधिक परंतु 100% से कम ह्रास के रूप में हुआ है।

(ङ) विशेष प्रयोजन माध्यम जिनका सृजन इन विनियमों के अनुसार विनिधान को सुकर बनाने या प्रोन्नत करने के प्रयोजन के लिए जोखिम पूँजी निधि द्वारा किया गया है।

स्पष्टीकरण - विनियम 12 के खंड (घ) में नियत विनिधान शर्तों और निर्बंधनों को जोखिम पूँजी निधि द्वारा इसके जीवन काल के अंत तक पूरा किया जायेगा।

(ख) खंड (घ) के पश्चात् , निम्नलिखित का परिवर्धन किया जायेगा :-

"(ङ) जोखिम पूँजी निधि निधि के जीवन काल की अवधि प्रकट करेगी।"

(3) विनियम 24 में, उप-विनियम (2) के पश्चात् , निम्नलिखित उप-विनियम, अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(3) उप-विनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी और नियोजन ज्ञापन या अंशदान करार या अभिदान करार, यथास्थिति, में अंतर्विष्ट शर्तों, यदि कोई हो, के अध्यधीन, स्कीम की आस्तियों का नकद रूप में संवितरण, जोखिम पूँजी निधि द्वारा किसी भी समय, जिसमें स्कीम के परिसमापन पर सम्मिलित होगा, किया जायेगा, विनिधानकर्ताओं की अधिमानता के अनुसार, स्कीम के विनिधानकर्ताओं के कम से कम 75% से अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् ।

(4) तीसरी अनुसूची में, -

(क) खंड 1, का लोप किया जायेगा।

(ख) खंड 2 में, शब्दों, "उन गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों के सिवाय जो भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रजिस्ट्रीकृत हैं और जिन्हें उपस्कर लीज़िंग या अवक्रय कंपनियों के तौर पर प्रवर्गीकृत किया गया है", को शब्दों, " गैर बैंककारी वित्तीय सेवाएँ " के पश्चात् , अंतःस्थापित किया जायेगा।

(ग) खंड 3 में, शब्दों, "उन कंपनियों के सिवाय जो आभूषण के लिए स्वर्ण वित्तपोषण में लगी हुई हैं", को शब्द, "स्वर्ण वित्तपोषण" के पश्चात् अंतःस्थापित किया जायेगा।

[फा. सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/6268/2004]

ज्ञानेन्द्रनाथ बाजपेयी, अध्यक्ष

<u>पाद टिप्पण</u> :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जोखिम पूँजी निधियाँ) विनियम, 1996, मूल विनियम, का.आ. सं.850 (अ), 4 दिसम्बर, 1996 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

2. विनियम तत्पश्चात् :

(क) 5 जनवरी, 1998 को भाप्रविबो (जोखिम पूँजी निधियाँ) (संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. सं. 19(अ), द्वारा

(ख) 17 नवम्बर, 1999 को भाप्रविबो (जोखिम पूँजी निधियाँ) (संशोधन) विनियम, 1999, का.आ. सं. 1118(अ), द्वारा

(ग) 15 सितम्बर, 2000 को भाप्रविबो (जोखिम पूँजी निधियाँ) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 831(अ), द्वारा

(घ) 27 सितंबर 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जाँच अधिकारी द्वारा जाँच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002 का.आ.1045 (अ) द्वारा

संशोधित हुआ था ।

NOTIFICATION

Mumbai, the 5th April, 2004

Securities and Exchange Board of India (Venture Capital Funds) (Amendment) Regulations, 2004

S.O. 468(E).—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Venture Capital Funds) Regulations, 1996, namely: -

1. (i) These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Venture Capital Funds) (Amendment) Regulations, 2004.

   (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Securities and Exchange Board of India (Venture Capital Funds) Regulation, 1996: -

   (i) In regulation 2, -

   (a) in clause (ee), after the word, "compulsorily", the word, "or optionally", shall be inserted.

(b) in clause (m), in sub-clause (iii), the words, "in venture capital undertaking" shall be omitted.

(ii) In regulation 12, -

(a) in clause (d), -

(i) the words, "in the venture capital undertaking", shall be omitted.

(ii) in sub-clause (i), -

(1) for the figure, "75%", the figure, "66.67%", shall be substituted.

(2) the words, "of venture capital undertaking", shall be added after the words "equity linked instruments".

(iii) in sub-clause (ii),

(1) for the figure "25%", the figure "33.33%", shall be substituted."

(2) in clause (a), the words "subject to lock-in period of one year" shall be omitted.

(3) after clause (b), the following shall be inserted, namely; -

"(c) preferential allotment of equity shares of a listed company subject to lock in period of one year. "

(d) the equity shares or equity linked instruments of a financially weak company or a sick industrial company whose shares are listed.

Explanation 1 - For the purpose of these regulations, a "financially weak company" means a company, which has at the end of the previous financial year accumulated losses, which has resulted in erosion of more than 50% but less than 100% of its networth as at the beginning of the previous financial year.

(e) Special Purpose Vehicles which are created by a venture capital fund for the purpose of facilitating or promoting investment in accordance with these Regulations.

Explanation - The investment conditions and restrictions stipulated in clause (d) of regulation 12 shall be achieved by the venture capital fund by the end of its life cycle."

(b) after clause (d), the following shall be added, namely; -

"(e) venture capital fund shall disclose the duration of life cycle of the fund."

(3) in regulation 24, after sub-regulation (2), the following sub-regulation, shall be inserted, namely; -

"(3) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (2) and subject to the conditions, if any, contained in the placement memorandum or contribution agreement or subscription agreement, as the case may be, in-specie distribution of assets of the scheme, shall be made by the venture capital fund at any time, including on winding up of the scheme, as per the preference of investors, after obtaining approval of at least 75% of the investors of the scheme.

(4) In Third schedule, -

(a) clause 1, shall be omitted.

(b) in clause 2, the words, "excluding those Non-Banking Financial companies which are registered with Reserve Bank of India and have been categorized as Equipment Leasing or Hire Purchase companies", shall be inserted, after the words, "Non-banking Financial Services".

(c) in clause 3, the words, "excluding those companies which are engaged in gold financing for jewellery", shall be inserted, after the words, "gold financing".

[F. No. SEBI/LAD/DOP/6268/2004]

G. N. BAJPAI, Chairman

Foot Notes :

(1) The Securities and Exchange Board of India (Venture Capital Funds) Regulations, 1996, the Principal Regulations were published in the Gazette of India on December 4, 1996 vide S.O. No.850(E).

(2) The Regulations was subsequently amended on:

1183 GI/04-3

(a) on January 5, 1998 by the SEBI (Venture Capital Funds) (Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No.19 (E).

(b) on November 17, 1999 by the SEBI (Venture Capital Funds) (Amendment) Regulations, 1999 vide S.O. No.1118 (E).

(c) on September 15, 2000 by the SEBI (Venture Capital Funds) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No.831 (E).

(d) on September 27, 2002 by the SEBI (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide S.O. No.1045 (E).

अधिसूचना

मुम्बई, 5 अप्रैल, 2004

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) (संशोधन) विनियम, 2004

का.आ. 469(अ).— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) विनियम, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (i) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) (संशोधन) विनियम, 2004 कहा जा सकेगा ।

(ii) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) विनियम, 2000 में,:-

(i) विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में, -

(क) खंड (च) में, शब्द "अनिवार्यतः" के पश्चात् शब्द "या वैकल्पिक रूप से" अंतःस्थापित किये जायेंगे।

(ख) खंड (छ) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् ; -

"(छ) "विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता" से अभिप्रेत है भारत के बाहर निगमित, स्थापित विनिधानकर्ता, इन विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और इन विनियमों के अनुसार विनिधान करने का प्रस्ताव करता है ।"

(ग) खंड (ठ), उप-खंड (iii) में, शब्दों, "जोखिम पूँजी उपक्रम में" का लोप किया जायेगा।

(ii) विनियम 11 में, -

(क) खंड (ख) में,-

(i) शब्द "यद्यपि" का लोप किया जायेगा।

(ii) शब्दों "यह तथापि भारत में विनिधानों के लिए प्रतिबद्ध निधियों के 25% से अधिक विनिधान एक जोखिम पूँजी उपक्रम में नहीं करेगा " का लोप किया जायेगा।

(ख) खंड (ग) में, -

(i) शब्दों, "जोखिम पूँजी उपक्रम में" का लोप किया जायेगा।

(ii) उप-खंड (i) में, -

(1) अंक, "75%" के लिए, अंक "66.67%" प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(2) शब्दों, "जोखिम पूँजी उपक्रम के" को शब्दों, "का विनिधान" के पश्चात् अंतःस्थापित किया जायेगा।

(iii) उप-खंड (ii) में,

(1) अंक, "25%" के लिए, अंक "33.33%" प्रतिस्थापित किया जायेगा।"

(2) खंड (क) में, शब्दों, "एक वर्ष की रोक-अवधि के अध्यधीन", का लोप किया जायेगा।

(3) खंड (ख) के पश्चात् , निम्नलिखित जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

"(ग) सूचीबद्ध कंपनी के इक्विटी शेयरों का अधिमानी आबंटन एक वर्ष की रोक-अवधि के अध्यधीन।

(घ) वित्तीय रूप से कमजोर कंपनी या रुग्ण औद्योगिक कंपनी जिनके शेयर सूचीबद्ध हैं के इक्विटी शेयर या इक्विटी संबद्ध लिखतें।

स्पष्टीकरण 1 :- इन विनियमों के प्रयोजन के लिए, "वित्तीय रूप से कमजोर कंपनी" से कंपनी अभिप्रेत है जिसने पूर्व वित्तीय वर्ष के अंत में हानियाँ संचित की हैं, जिसका परिणाम पूर्व वित्तीय वर्ष के आरंभ में इसकी शुद्ध मालियत के 50% से अधिक परंतु 100% से कम ह्रास के रूप में हुआ है।"

(ङ) विशेष प्रयोजन माध्यम जिनका सृजन इन विनियमों के अनुसार विनिधान को सुकर बनाने या प्रोन्नत करने के प्रयोजन के लिए किया गया है।

स्पष्टीकरण - विनियम 11 के खंड (ग) में नियत विनिधान शर्तों और निर्बंधनों को विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता द्वारा इसके जीवन काल के अंत तक पूरा किया जायेगा।"

(ग) खंड (ग) के पश्चात् , निम्नलिखित का परिवर्धन किया जायेगा अर्थात्:-

"(घ) यह निधि के जीवन काल की अवधि प्रकट करेगा।"

(iii) तीसरी अनुसूची में, -

(i) खंड 1, का लोप किया जायेगा।

(ii) खंड 2 में, शब्दों, "उन गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों के सिवाय जो भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रजिस्ट्रीकृत हैं और जिन्हें उपस्कर लीजिंग या अवक्रय कंपनियों के तौर पर प्रवर्गीकृत किया गया है", को शब्दों, " गैर बैंककारी वित्तीय सेवाएँ " के पश्चात् अंतःस्थापित किया जायेगा।

(iii) खंड 3 में, शब्दों, "उन कंपनियों के सिवाय जो आभूषण के लिए स्वर्ण वित्तपोषण में लगी हुई हैं" को शब्दों, "स्वर्ण वित्तपोषण" के पश्चात् अंतःस्थापित किया जायेगा।

[फा. सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/6253/2004]

ज्ञानेन्द्रनाथ बाजपेयी, अध्यक्ष

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) विनियम, 2000, मूल विनियम, का.आ. सं.832 (अ), 15 सितम्बर, 2000 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) विनियम, 2000, तत्पश्चात् -
   (क) 7 जून 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी जोखिम पूँजी विनिधानकर्ता) (संशोधन) विनियम, 2001 का.आ.501 (अ) द्वारा
   (ख) 27 सितंबर 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जाँच अधिकारी द्वारा जाँच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002 का.आ.1045 (अ) द्वारा

संशोधित किया गया।

NOTIFICATION

Mumbai, the 5th April, 2004

Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investors) (Amendment) Regulations, 2004

S.O. 469(E).— In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following Regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investors) Regulations, 2000, namely:-

1. (i) These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investors) (Amendment) Regulations, 2004.

   (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investors) Regulation, 2000; -

   (i) In regulation 2, in sub-regulation (1), -

   (a) in clause (f), after the word "compulsorily" the word "or optionally" shall be inserted.

   (b) for clause (g), the following shall be substituted, namely; -

   "(g) "Foreign Venture Capital Investor" means an investor incorporated, established outside India, is registered under these Regulations and proposes to make investment in accordance with these Regulations."

(c) in clause (l), in sub-clause (iii), the words, "in venture capital undertaking" shall be omitted.

(ii) In regulation 11, -

(a) in clause (b), -

(i) the word "while" shall be omitted.

(ii) the words, "it shall however not invest more than 25% of the funds committed for investment to India in one Venture Capital Undertaking" shall be omitted.

(b) in clause (c), -

(i) the words, "in the Venture Capital Undertaking" shall be omitted.

(ii) in sub-clause (i), -

(1) for the figure, "75%", the figure, "66.67%" shall be substituted.

(2) the words, "of Venture Capital Undertaking" shall be inserted after the words, "equity linked instruments".

(iii) in sub-clause (ii),

(1) for the figure, "25%", the figure, "33.33%" shall be substituted.

(2) in clause (a), the words, "subject to lock-in period of one year", shall be omitted.

(3) after clause (b), the following shall be added, namely;-

"(c) preferential allotment of equity shares of a listed company subject to lock in period of one year.

Explanation 1: - For the purpose of these regulations, a "financially weak company" means a company, which has at the end of the previous financial year accumulated losses, which has resulted in erosion of more than 50% but less than 100% of its networth as at the beginning of the previous financial year."

(e) Special Purpose Vehicles which are created for the purpose of facilitating or promoting investment in accordance with these Regulations.

Explanation - The investment conditions and restrictions stipulated in clause (c) of regulation 11 shall be achieved by the Foreign Venture Capital Investor by the end of its life cycle."

(c) after clause (c), the following shall be added namely:-

"(d) It shall disclose the duration of life cycle of the fund."

(iii) In Third schedule, -

(i) clause 1, shall be omitted.

(ii) In clause 2, the words, "excluding those Non-Banking Financial companies which are registered with Reserve Bank of India and have been categorized as Equipment Leasing or Hire Purchase companies", shall be inserted, after the words, "Non-banking Financial Services".

(iii) In clause 3, the words, "excluding those companies which are engaged in gold financing for jewellery" shall be inserted, after the words, "gold financing".

[F. No. SEBI/LAD/DOP/6253/2004]

G. N. BAJPAI, Chairman

Foot Notes :

(1) Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investors) Regulations, 2000, the Principal Regulations were published in the Gazette of India on September 15th, 2000 vide S.O. No.832(E).

(2) The Securities and Exchange Board of India (Foreign Venture Capital Investors) Regulations, 2000 were subsequently amended –

(a) on June 7th, 2001 by the SEBI (Foreign Venture Capital Investors) (Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No. 501(E)

(b) on September 27, 2002 by the SEBI (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide S.O. No.1045 (E).

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.